③-4 50 G/PD 4/P 1033

संख्या 7793 / लो.नि.–1 / 2002–10 (सामान्य) / 02

प्रेषक,

एन. रवि शंकर,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता, स्तर–1
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग–1 देहरादून, दिनॉक 13 नवम्बर, 2002

विषयः– उत्तरांचल में दूर संचार / विद्युत विभाग / जल निगम / जल संस्थान एवं अन्य विभागों द्वारा लोक निर्माण विभाग की सड़कों को काटने के सम्बन्ध में।

1931
18-11-02

महोदय,

लोक निर्माण विभाग, उत्तरांचल के अधीन मार्गों पर दूर संचार / विद्युत विभाग / जल निगम / जल संस्थान एवं अन्य विभागों द्वारा मार्गो को काट कर केबिल विछाने / पाईप लाईन डालने एवं अन्य कार्य सम्पादित किये जाते हैं, जिनके फलस्वरुप मार्गों की दशा खराब हो जाती है तथा यातायात में असुविधा के साथ-साथ दुर्घटना की सम्भावना भी बढ़ जाती है। उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु उत्तरांचल राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत् रखते हुए तथा यातायात के निर्बाध संचालन एवं दुर्घटनाओं को रोकने की दृष्टि से सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भविष्य में लोक निर्माण विभाग की सड़कों में किसी भी विभाग द्वारा सड़क काट कर केबिल विछाने / पाईप लाईन डालने अथवा अन्य किसी भी कारण से सड़क काटने से पूर्व लोक निर्माण विभाग की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा, भले ही केबिल मार्ग के किनारे डाली जा रही हो। सम्बन्धित विभाग, ले आऊट प्लान पर लोक निर्माण विभाग के सम्बन्धित खण्ड को अनुमति प्राप्त करने हेतु भेजेगा एवं सम्बन्धित खण्ड द्वारा शहरी क्षेत्रों में अधिकतम 15 दिनों में एवं अन्य क्षेत्रों में अधिकतम एक माह में अनुमति जारी कर दी जायेगी एवं कटिंग चार्जज का बिल दूर संचार विभाग या अन्य सम्बन्धित विभाग को भेजने एवं धनराशि प्राप्त करने की कार्यवाही सम्पन्न कर ली जायेगी।

2. मैदानी क्षेत्र में सड़कों के ऐम्बेकमैन्ट के बाहर कच्चे में अर्थात् लेपित् सतह के एज में 3 मीटर से अधिक दूरी पर ट्रैंच खोदकर यदि केबिल डाली जाती है और केबिल डालने के बाद ट्रैंच भर दी जाती है तो रोड़ कटिंग चार्जेज संलग्न किये जा रहे रोड कटिंग चार्जेज में उल्लिखित कच्चे मार्ग हेतु इंगित कटिंग के अनुसार देय होगें।

3. पर्वतीय मार्गों पर खड्ड साईड में सड़क काटकर केबिल डालने की अनुमति नहीं होगी। यदि किसी कारणवश रोडवे चौड़ाई में ही केबिल / पाईप आदि डालना आवश्यक हो तो रोड़ साईड ड्रेन की तली के नीचे कम से कम 75सेमी. खोदकर डाली जाय, जिस हेतु कटिंग चार्जेज नियमानुसार निर्धारित कच्ची या पक्की नाली के अनुसार देय होगें।

4. दूर संचार विभाग या अन्य विभाग द्वारा मात्र उतनी ही लम्बाई में ट्रैच खोदी जाय जितनी लम्बाई केबिल के रोल की है और केबिल में ट्रैंच में डालकर व ट्रैंच भरकर आगे ट्रैंच खोदने की कार्यवाही की जाय, जिससे यातायात संचालन में असुविधा न हो। उचित होगा कि एक बार में अधिकतम 200 मी0 लम्बाई में ट्रैंच खोदी जाय व केबिल डालकर व भरकर उसके आगे खुदाई की जाय, खुदाई के स्थान पर चेतावनी के होर्डिंग्स अनिवार्य रुप से लगाने का उत्तरदायित्व खुदाई करने वाले सम्बन्धित विभाग का होगा।

5. खोदी गयी मिट्टी रोड साईड ड्रेन में या मार्ग पर न पड़ी रह जाय इसके लिये यह आवश्यक है कि कार्य समाप्ति के उपरान्त लोक निर्माण विभाग के फील्ड कर्मचारियों के साथ संयुक्त निरीक्षण कर लिया जाय तथा इसके उपरान्त ही सम्बन्धित विभाग द्वारा ठेकेदार की जमानत राशि लौटाई जाय।

क्रमशः.......2 / –

6. रोड कटिंग चार्ज विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग अपने स्तर से समय–समय पर जारी करें।

7. काजवे एवं पुल /पुलियों के स्लैप नहीं काटे जायेगें अपितु इनके ऊपर पाईप डालकर किनारे से केबिल बिछाई जाय।

8. सम्बन्धित विभाग / कार्यदायी संस्था द्वारा ले आऊट प्लान अनुमति के लिये प्रस्तुत करते समय प्रार्थना पत्र में निम्न बिन्दुओं का समावेश करते हुए अन्डरटेकिंग दी जाय :–

(1) निर्माण कार्य के दौरान यातायात् को सुचारु रुप से लागू रखने एवं सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

(2) भूमि स्वामित्व (Title of Ownership of Land) लोक निर्माण विभाग का ही रहेगा।

(3) सम्बन्धित विभाग द्वारा किये गये कार्य पर सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की होगी।

(4) लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग के चौड़ीकरण या अन्य कोई कार्य किये जाने पर यदि केबिल / पाईप आदि की शिफ़्टिंग की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित विभाग अपने व्यय पर अपने केबिल / पोल / पाईप आदि की शिफ़्टिंग की कार्यवाही करेगें।

(5) लोक निर्माण विभाग द्वारा मार्ग पर कार्य सम्पादन के दौरान यदि केबिल अथवा पाईप लाईन इत्यादि की कोई क्षति पहुँचती है तो लोक निर्माण विभाग इस हेतु उत्तरदायी नहीं होगा तथा न ही इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का मुआवजा देय होगा।

कृपया उपरोक्त शर्तों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित् किया जाय तथा तद्नुसार अधीनस्थों को भी निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

संलग्न– (रोड़ कटिंग चार्जेज चार्ट)

N. Ravi Shankar

(एन० रवि शंकर)
सचिव।

संख्या 7793 (1)/लो.नि.–1/2002 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. आयुक्त, पौड़ी/नैनीताल।
2. मुख्य महाप्रबन्धक, भारत संचार निगम, उत्तरांचल, देहरादून।
3. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, जल निगम, उत्तरांचल, देहरादून।
5. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा।
6. समस्त ज़िलाधिकारी, उत्तरांचल को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित् कराने का कष्ट करें।
7. लोक निर्माण अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आनन्द बर्धन)
अपर सचिव।